संख्याः 783 /XVII(4)/2012/86/05 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादूनः दिनांक 27 मार्च, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011-12 में सबला/किशोरी शक्ति योजना के कियान्वयन हेतु आवंटित बजट से अग्रिम धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-584/XVII(4)/2011/86/05 दिनांक 22-03-2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु योजना एवं किशोरी शक्ति योजना हेतु क्रमशः रू0 66.50 लाख एवं रू0 38.50 लाख अर्थात इस प्रकार कुल धनराशि रू0 105.00 लाख (रू0 एक करोड़ पांच लाख मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत धनराशि को अग्रिम आहरित कर जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिलो के पी0एल0ए0 में सर्वप्रथम जमा करने तथा निदेशक आई0सी0डी0एस0 के निर्देशानुसार पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त के संबंध में आपके पत्र सं0 319/सबला/बजट दिनांक 26-03-2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन जनपदों में जिलाधिकारियों के पी0एल0ए0 खाते नहीं हैं, उन जनपदों में उक्तानुसार अग्रिम आहरित धनराशि को मुख्य विकास अधिकारी के पी0एल0ए0 खाते में जमा किया जायेगा और निदेशक आई0सी0डी0एस0 के निर्देशानुसार पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय किया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-584/XVII(4)/2012/86/05 टी0सी0 में दिनांक 22-03-2012 के स्थान पर त्रुटिवश दिनांक 22-03-2011 अंकित हो गया है। अतः इसे दिनांक 22-03-2011 के स्थान पर दिनांक 22-03-2012 पढ़ा जाय।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

S.O.(MWCD)/Letters Off. 1229

संख्याः (1)/XVII(4)/2012/86/05 टी0सी0 तददिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
9. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव।